उत्तरी भारत नहर एवम जल निकास अधिनियम 8 सन् 1873
The Northern India Canal and Drainage Act No.8 of 1873

द्वारा
एन0 एस0 कुण्डरा,
उपराजस्व अधिकारी
(सिंचाई राजस्व प्रकोष्ठ)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून,

<u>प्रस्तावना:–</u>

यह अधिनियम उत्तरी भारत में सिंचाई, नौ परिवहन एवम जल निकास कार्यो को विनियमिज एंव नियन्त्रित करने हेतू सन् 1873 में संरचित किया गया था। उस समय इसका विस्तार पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रान्तों तक सीमित था। यह अधिनियम समस्त स्थाई एवम् अस्थाई रूप से व्यवस्थित तथा राजस्व से मुक्त भूमि पर प्रवृत है।

<u>प्रवर्तन</u>–यह अधिनियम प्रथम अप्रैल 1874 से प्रवृत हैं।

<u>इतिहास</u> :

इस अधिनियम के अर्न्तगत राज्य सरकारो को समस्त नदियों, झीलों, प्राकृतिक संग्रहों के शांत जल को लोक प्रयोजनार्थ प्रयोग करने एंव अपनी विकास की आवश्यकतों के अनुरूप संशोधित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये थे। इसी परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के विकास तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष 1931 में **''मध्य प्रदेश नहर एवम् जल निकास अधिनियम 1931''** की संरचना की थी लेकिन इस परिपेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की भाण्डेर नहर, केन, बेलन, बांघला नहरो से मध्यप्रदेश के रीवा, जिले के जिस क्षेत्र में सिंचाई होती है वहां भी उत्तरी भारत नहर एवम् जल निकास अधिनियम 8 सन् 1873 ही प्रवृत है।

इसी प्रकार आगरा नहर, फतेहपुर सीकरी ब्रॉच, राजबाह नंदगॉव, माइनर पलसों, ओल माईनर, भरतपूर जल पोषक से राजस्थान के भरतपूर जिले में जहॉ सींच होती है वहां भी यही अधिनियम प्रवृत है जबकि राजस्थान सरकार ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सिंचाई के विकास हेतु ''राजस्थान नहर एवं जल निकास अधिनियम 21 सन् 1954 की संरचना कर ली है जो राजस्थान की अन्य नहरों से सिंचित क्षेत्र पर प्रवृत होता है।

इसी सापेक्ष में यह भी उल्लेखनीय है कि हरियाणा प्रान्त के फरीदाबाद जिले की तहसील फरीदाबाद व पलवल में जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश की नहरो से सींचा जाता है उस क्षेत्र पर भी यही अधिनियम प्रवृत है जबकि हरियाणा सरकार ने अपने विकास की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष 1974 में **''हरियाणा नहर एवम् जल निकास अधिनियम 8 सन् 1974 की संरचना कर ली है''।**

पंजाब प्रान्त में अब **''पंजाब नहर एंव जलनिकास अधिनियम 1980 प्रवृत हैं''।** बिहार प्रान्त के छपरा, पश्चिमी चम्पारण जिलों के जिस क्षेत्र में उत्तरप्रदेश की नहरों से सिंचाई होती है वहां भी यही अधिनियम प्रवृत है।

उत्तराखंड मे भी अभी तक यही अधिनियम प्रवृत है क्योकि उत्तराखंड का नहर एवम् जल निकास अधिनियम 2006 शासन में विचाराधीन है।

संशोधन :–

इस अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर विकास कार्यो हेतु निम्न संशोधन संख्या– 16 सन् 1899

1.अधिनियम संख्या 16 सन् 1899
2. " " " " 4 सन् 1914
3. " " " " 6 सन् 1932
4. " " " " 12 सन् 1935
5. " " " " 12 सन् 1936
6. " " " " 22 सन् 1936
7. " " " " 30 सन् 1956
8. " " " " 5 सन् 1963
9. " " " " 22 सन् 1973
10. " " " " 16 सन् 1974
11. " " " " 22 सन् 1979

वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत की जाती हैं:–

1. उत्तरी भारत नहर एवम् जलनिकास अधिनियम 8 सन् 1873
2. उत्तर प्रदेश नलकूप अधिनियम 5 सन् 1936
3. उत्तर प्रदेश गूल अधिनियम 5 सन् 1963
4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 51 सन् 1979

सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व एंव कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाती हैं इसलिए विभागीय अधिकारियों के जल वितरण व नियन्त्रण करने तथा आदेशों के कार्यान्वयन कराने के अधिकार महत्वपूर्ण हैं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 51 सन् 1976 समादेश क्षेत्र यथा गंडक, शारदा सहायक, रामगंगा क्षेत्र में ही प्रवृत हैं। लेकिन वर्तमान में इस समादेश क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास कार्य, जल मितव्ययता के कार्य, जल वितरण कार्य इसी अधिनियम के अन्तर्गत किये जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत ओसराबंदी का सत्यापन जिलेदार द्वारा किया जाता हैं तथा ओसराबंदी फाईनल करने के अधिकार उपराजस्व अधिकारी में निहित हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत ओसराबंदी तैयार करने में निम्न प्रपत्र प्रयोग में लाये जाते हैं।

1-	क्षेत्र विकास ओसराबंदी प्रपत्र एक	प्रपत्र सहमति कृषकगण
2-	" " " " दो	अर्थात 57एच/ वी
3-	" " " " तीन	अर्थात 58 एच/वी
4-	" " " " चार	अर्थात 59 एच/वी
5-	" " " " साढेचार	अर्थात 59 +1/2एच/वी

परिभाषाएँ:–(धारा –3)

1. **नहर:**– नहर से अभिप्राय ऐसी समस्त नहरों, नालों, जलाश्यों से हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित, प्रतिपादित नियन्त्रित किये जाते हैं। नहर के अन्तर्गत समस्त पक्के निर्माण कार्य, बंधे, परिवहन (Escape)नदिया स्त्रोत, झील तालाब, प्राकृतिक जल संग्रह, गूले व बरहा (field channel) सम्मिलित हैं। ऐसे कार्य भी जो बाढ़ क्षरण (Erosin)से भूमि सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं।

2. जलसरणी:–(Water course)से अभिप्राय उस नाली से हैं जो नहर से निकलती है कृषकों द्वारा स्वंय के खर्चे से निर्मित की जाती हैं। अपितु सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं की जाती हैं। इससे सम्बन्धित समस्त समनुषंगी कार्य (subsidiary works)भी इसकी परिभाषा में सम्मिलित हैं।

इस परिभाषा से यह स्पष्ट नही हैं कि अमुक जल सरणी कब अस्तित्व में आई है। इसकी स्वीकृति किसके द्वारा हुई हैं यदि यह जल सरणी किसी की निजी सम्पति पर निर्मित हैं तथा उसी स्वामी द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं तो ऐसी दशा में स्वामी द्वारा ध्वस्त (demolish)करने का प्रशन ही नही उठता है। जल सरणी की यह परिभाषा स्वीकृति रहित हैं लेकिन फिर भी धारा 70 (1) के अन्तर्गत जलसरणी को ध्वस्त करना परिवर्तित करना व अवरोध उत्पन करना दण्डनीय अपराध हैं।

मुख्य न्यायमूर्ति श्रीमलिक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने वर्ष 1968 में जनपद इटावा के अपराधिक पुनरीक्षण बाद के अपने निर्णय में गूल की परिभाषा निम्न रूप में अंकित की हैं

"Water Cours" means any channel suolied with water from a canal established with the consent of the person through whose land it runs' existing sufficiently from a long period and enable to acquire the right of easement to the peoples whose land being irrigated after words it is well recognized water course for the purpose of irrigation. No body has any right to demolish such water course.

इसी प्रकार अन्य बाद में न्यायमूर्ति श्रीकपूर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने वर्ष 1973 में कानपुर के एक अपराधिक पुनरीक्षण वाद के अपने निर्णय में गूल व बरहा की परिभाषा निम्न रूप में अंकित की हैं।

"Water Course" curved out during consolidation proceeding Passing through the field would be deemed to be authorized distribution of water for the purpose of irrigation .No body gas any right to demolish such water course.

"Field Channel " means such channel or escape channel and other similar works formed or maintained by the land owners in their fields themselves.

3. **सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र (Irrigable Command area)** से अभिप्राय ऐसी कृषि योग्य भूमि या बागान भूमि (Grove band)से हैं जो सिंचाई के उद्देश्य से एक नहर के कुलाबे या नलकूप से समादेशित(Commanded) की जा सकती हैं। जिसकी सीमाएँ अधिशासी अभियन्ता द्वारा निश्चित की जाती हैं।

4. **जल निकास कार्य** (Drainage works) से अभिप्राय नहर, बॉध, बीयर तटबंध, पानी के फाटक,(sluice) आदि से हैं। जो बाढ़ या क्षरण(Erosin) से भूमि की सुरक्षा करते हैं। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं।

इस धारा के अन्तर्गत आयुक्त कलक्टर, अधीक्षण अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता,सहायक अभियन्ता के पदों की परिभाषाएँ भी सम्मलित हैं।

धारा 4. इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों की नियुक्ति, पद स्थापना, स्थानान्तरण एवं समय –समय पर उन्हे निर्देशित करने का अधिकार राज्य सरकार को हैं।

धारा 5. लोक हित के लिये पानी की अधिसूचना निर्गत करना

राज्य सरकार को जब यह समीचीन (Expedient) उचित प्रतीत होता है कि किसी नदी, झील, धारा,प्राकृतिक संग्रहण के जल का प्रयोग विघमान या प्रस्तावित नहर या जल निकास कार्य हेतु किया जाना हैं। तब कम से कम 3 माह पूर्व राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कराने के उपरान्त पानी का उपयोग राजपत्र में उल्लिखित दिनांक से ही किया जा सकता है।

धारा 6. अधिकार युक्त प्रावधान (Enabbing provison)

राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम के अन्तर्गत नहर अधिकारियों को निकटवर्ती भूमि में प्रवेश करने, अवरोध हटाने, नहर को बंद करने, नहर के जल के उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं।

प्रतिकर निर्धारण प्रकिया
धारा 7–8–9–10–11–12–13

राज्य सरकार की ओर से लोक प्रयोजनार्थ जल के उपयोग हेतु अधिनियम निर्गत हो जाने के उपरान्त यथा शीघ्र जहां तक व्यावहारिक हो जिलाधिकारी, भूस्वामियों, अभिधारियों(occupiers)को किसी निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर प्रतिकर के दावे उनके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस देंगे।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अभिसूचना निर्गत होने की तिथि पश्चात यदि या कृत्रिम जल स्त्रोत की जालपूर्ति में कमी आ जाने, या जलापूर्ति रोक दिये जाने या विगत पांच वर्षों से सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई गई किसी गूल से जलापूर्ति की मात्र में कमी आ जाने या रूकावाट हो जाने से प्रतिकर देय होगा क्योकि प्रत्येक भूस्वामी या अभिधारी(occupiers)को भारतीय परिसीमन अधिनियम 36 सन् 1963 के अन्तर्गत जल प्रयोग करने का अधिकार हैं यदि भूमि का क्षरण होता है या जलवायु में गिरावट आती है तथा श्रमिकों के विस्थापन के कारण कोई हानि होती है तो उस पर कोई प्रतिकर देय नहीं

होगा। बाढ़ के कारण आपूर्ति में कमी आने या आपूर्ति बंद हो जाने के कारण भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

प्रतिकर भूमि के बाजार भाव या बाजार उपलब्ध न होने की दशा में भूमि की उपज के शुद्व लाभ के 12 गुणे के बराबर होगा। इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार के विरूद्व कोई बाद स्वीकार्य न होगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर के दावे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर ही जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे किन्तु अपरिहार्य परिस्थिति में दावा न कर पाने के पर्याप्त कारण से जिलाधिकारी के सन्तुष्ट होने पर एक वर्ष के बाद भी विचारणीय होगें। प्रतिकर के दावों की जांच भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानो के अर्न्तगत जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

प्रत्येक आसामी जिसे भूमि ठेके पर दी गई है या वह उस पर काबिज है यदि आसामी के कब्जे वाली भूमि की जलापूर्ति मे कमी कर दी जाये या आपूर्ति बन्द कर दी जाये तो उसके कब्जे वाली भूमि का मुल्य भी परिह्रासित होगा यदि वह अपनी मालगुजारी अदा कर चुका है तो वह व्यक्ति मालगुजारी में कमी करने के लिए प्रार्थना पत्र देने का हक दार है। ऐसे प्रत्येक आसामी को उत्तरी भारत नहर एवं जलनिकास अधिनियम 8 सन् 1873 की धारा के अनुसार प्रतिकर देय होगा।

यदि पानी की आपूर्ति से भूमि के मूल्य में वृद्वि होती है तो उस भूमि की मालगुजारी में भी वृद्वि अवश्य मेव होगी लेकिन यह वृद्वि पूर्व में निर्धारित किये गये लगान पर प्रभावी न होगी।

इस अधिनियम के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति में कमी हो जाने, या आपूर्ति बन्द हो जाने के फलस्वरूप प्रतिकर के दावों का निर्णय हो जाने पर अन्दर तीन माह प्रतिकर धनराशि का भुगतान करना होगा यदि किन्हीं निर्धारित अवधि में प्रतिकर कर भुगतान न हो सके तब कृषकों को 6%ब्याज भी देय होगा। सिवाय उस दशा के जहां दावाकर्ता (claiment) ने स्वेच्छा से लेने से इंकार कर दिया हो।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नहरों में हुई खांदी से खडी फसलों मे हुई क्षति के लिये शासनादेश सं06286स ख/82–23सिं0–3–123एम/79दि0 27 दिसम्बर 1982 के अनुसार सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं को नहरों की खादी से हुई फसलों की क्षति के लिए अंकन 2500.00 रूपये तक प्रतिकर स्वीकार करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

इसी प्रकार शासनादेश सं0ए–2/1602(1)एक्स–95–24(14)/95दि0 1.06.1999 के अनुसार सिंचाई विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं को किसी भी सीमा तक नहरों की खांदी से फसलों में हुई क्षति के लिये प्रतिकर स्वीकार करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(धारा 14) नहर अधिकारियों के निकटवर्ती भूमि में प्रवेश करने सर्वेक्षण करने की शक्ति

कोई भी नहर अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जो नहर अधिकारी के सामान्य अथवा विशिष्ठ आदेश के अधीन कार्यरत है किसी भी नहर से लगी हुई भूमि पर छेदन या खुदाई करा सकता है। भू–चिन्ह लेबिल चिन्ह, पंसाल चिन्ह स्थापित करा सकता है। वह समस्त सम्बन्धित भूमि पर खडी फसल, झाडी, जंगल की सफाई करा सकता है।

कोई भी नहर अधिकारी किसी भवन, भूमि, जल सरणी पर जल संचालन के निरीक्षाणार्थ सिंचित भूमि के मापन हेतु नहरो के संचालन विनिमय (Regulation) व प्रबन्ध हेतू प्रवेश कर सकता है। नहरों से सम्बन्धित समस्त जॉच कार्यवाही सम्पन कर सकता है।

यदि कोई नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भवन या आवासीय मकान से संलग्न आंगन(courtyard)बाग, जिसमें किसी नहर से जल प्रवाहित नही होता है में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है तो उसमें प्रवेश करने के लिये मकान मालिक या अभिधारी को सात दिन पूर्व नोटिस देने के लिय बाध्य होगा तत्पश्चात ही वह उसमें प्रवेश कर सकेगा। इस प्रकार प्रवेश करने के फलस्वरूप हुई क्षति पर प्रत्येक मामले में नहर अधिकारी प्रतिकर देने के लिये बाध्य है। यदि अभिधारी व नहर अधिकारी के मध्य प्रतिकर की पर्याप्ता(sufficiency)के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो प्रकरण निर्णय हेतू जिलाधिकारी को सन्दर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय ही अन्तिम होगा।

(धारा15) नहर की मरम्मत करने व दुर्घटना रोकने हेतु प्रवेश करने की शक्ति

कोई भी नहर अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो नहर अधिकारी के सामान्य या विशिष्ट आदेश के अधीन कार्यरत है नहर में दुर्घटना घटित होने पर या दुर्घटना घटित होने के आंशका होने पर प्रत्येक दशा में नहर से सटी हुई भूमि में प्रवेश कर दुर्घटना को रोकने या मरम्मत करने के प्रयोजनार्थ समस्त आवश्यक कार्यों को सम्पादित कर सकता हैं।

इस प्रकार के प्रत्येक मामलें में नहर अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति प्रश्नगत भूमि कें स्वामियों या अभिधारियों को उनकी भूमि में हुई हानि के कारण प्रतिकर प्रदान करेगा। यदि निविदत प्रतिकर (Tender comp- ensation)स्वामियों या अभिधारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो मामला अधिकारियों को सन्दर्भ किया जायेगा जो प्रकरण पर भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अर्न्तगत विचारोपरान्त निर्णय करेगें और उनकी निर्णय से सन्तुष्ट न होने दशा में न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

Section 6, 14, 15 are enabling section giving power to the state govern-ment to entire on any land remove any obstruction and close any channels or do any other thing necessary for the use and application for the water to be taken into the canal.

It has been decided in the writ petition case "State of Panjab V/s messers modern Cultivators A.I.R. 1965 Supreme Court-17 at page 18"

(धारा16). पानी के प्रयोग हेतु कृषक द्वारा स्वंय के खर्चें पर गूल का निर्माण या सुधार कराना।

यदि कोई व्यक्ति अपने खर्चें पर गूल का निर्माण कराकर या गूल में सुधार कराकर नहर का पानी लेने हेतु अधिशासी अभियन्ता या सहायक को प्रार्थना पत्र देता है। तो उसी जॉच कराकर संभावित व्यय को प्राकंलन तैयार कराकर प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता को अग्रसारित कर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त गूल का निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा। तत्पश्चात् प्रार्थी या प्रार्थीगण का जिलाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणीकरण (Attestation)कराने के पश्चात् गूल निर्माण में व्यय की गई धन राशिकी वसूली प्रार्थीगण से की जायेगी यदि प्रार्थी व प्रार्थीगण अपने अभिकथन के अनुसार धन राशि जमा नहीं करते है तो बकाया राजस्व के रूप में जिलाधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी। विभाग द्वारा निर्मित गूल के प्रार्थी या प्रार्थीगण सामुहिक (Jointly)रूप से या प्रत्येक व्यक्ति अलग–अलग (Severally) भुगतान करने का उत्तरदायी होंगे।

(धारा 17) सरकार द्वारा नहरों को पार करने का साधन उपलब्ध कराना

यदि किसी स्थान पर नहर पार करने के लिये पुल, पैदल पुल, कलवर्ट, साईफन इत्यादि नही है तो कम से कम पांच व्यक्तियों द्वारा अपनी माँग के समर्थन में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर उनके द्वारा जाँच करायी जाएगी। जाँच मे तथ्य सही पाये जाने पर प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी जिस पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। नहर पार करने के साधन का निर्माण सन्निकट भू–स्वामियों एवम् ग्राम वासियों की सुविधा के अनुसार सरकार के खर्च पर कराया जायेगा।

(धारा 18) सड़क के आरपार पानी ले जाने के लिये गूल का निर्माण

यदि जल सरणी/गूल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति सड़क नहर, या ड्रेन के आर–पार पानी ले जाने के लिये पुल, पुलिया, साईफन मरम्मत कराना चाहते है तो अधिशासी लाभार्थियों को एक निर्धारित अवधि में गूल का निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य पूरा करने हेतु नोटिस निर्गत करेगें। यदि लाभार्थी एक निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य पूरा करने हेतु नोटिस निर्गत करेगें। यदि लाभार्थी एक निर्धारित अवधि में गूल का निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य पूरा नही कर पाते है तो अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त कर स्वयं गूल को आर–पार ले जाने के लिये वांछित निर्माण कार्य या मरम्मत कार्य पर हुये व्यय का भुगतान नहीं करते हैं तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा मॉग प्रेषित करने पर जिलाधिकारी द्वारा बकाया राजस्व के रूप में वसूल किया जायेगा।

(धारा 19) सामुहिक रूप से गूल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के बीच दावों का समायोजन

यदि कोई व्यक्ति किसी गूल के निर्माण या अनुरक्षण के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदारी अन्य लोगों के साथ कथित गूल में हुये व्यय के अपने हिस्से के धन का भुगतान करने या अपनी हिस्सेदारी का निष्पादन करने में उपेक्षा या इंकार करता है तो ऐसी दशा में सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता किसी व्यक्ति से लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समस्त प्रभावी व्यक्तियों को मामले की जॉच हेतु 15 दिन का नोटिस देगें और जॉच उपरान्त प्रकरण पर आदेश पारित करेगें। अधिशासी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता द्वारा

पारित आदेश के विरूद्व अपील आयुक्त के यहॉ होगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा। यदि भागीदार निर्धारित अवधि में देय धन राशि का भुगतान नहीं कर पाते है तब जिलाधिकारी द्वारा बकाया राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

(धारा 20) मध्यवर्ती गूल से जलापूर्ति

जब किसी व्यक्ति द्वारा विद्यमान गूल (Existing water course) से नहर का पानी लेने हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता के यहॉ दी जाती है और वह उचित प्रतीत होती है तो वह उस गूल के समस्त भागीदारान को 14 दिवस के अन्दर निश्चित तिथि पर कथित गूल से पानी की आपूर्ति न किये जाने का कारण बताने हेतू नोटिस देगें जिसकी जॉच निश्चित तिथि पर कर यह निर्धारित करेगें कि किन शर्तों पर विद्यमान गूल से जल की आपूर्ति की जा सकती है। अपने निर्णय की पुष्टि अधीक्षण अभियन्ता से कराने के उपरान्त समस्त भागीदारों को सूचित करेगें जो गूल के अनुरक्षण के प्रति जिम्मेदार हैं। अधीक्षण अभियन्ता का आदेश उन समस्त व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा जो गूल का उपयोग करेंगें। समस्त भागीदार तब तक गूल का प्रयोग नहीं कर सकेगें जब तक वह अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित धन राशि का भुगतान नहीं करेगें जब तक वह गूल का प्रयोग करते रहेगें तब तक भुगतान के प्रति जिम्मेदार रहेगें।

Ifthe water is supplied through an existing water Course which is made by agreement of the cultivators under the provision of section 20 & 21 of the Act. Nobody has any right to stop or demolish the same as it has been draw a presumption by the court that the water course is too old and cost of the water course has been paid by the cultivators jointly.

It has been decided in by Hon'ble high court in appeal filed by Ganga Sahai V/s Emperor A.I.R. 1929 Allahabad 271 at page 271.

कृषकों के प्रार्थना पत्र पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा गूल का निर्माण कराने की कार्यवाही (धारा 21–30)

यदि कोई कृषक या कृषकगण अधिशासी अभियन्ता को निम्न बिन्दुओं सहित प्रार्थना पत्र देते हैं कि वह स्वयं परस्पर सहमति से गूल बनाने में असमर्थ रहे हैं वह चाहते हैं कि उनकी ओर से अधिशासी अभियन्ता स्वयं उनके खर्चे पर भूमि का अधिग्रहण कराकर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करें। वह भूमि के अधिगृहण व गूल के निर्माण में होने वाले समस्त खर्चों को वहन करने के लिये तैयार हैं।

यदि अधिशासी अभियन्ता विचारोपरान्त यह निर्णय करते हैं:–

1. गूल का बनाया जाना आवश्यक एवम् उचित है।
2. प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण सही हैं।
3. इसके उपरान्त अधिशासी अभियन्ता की ओर से प्रार्थी व प्रार्थीगण को गूल के सम्बन्ध में होने वाले व्यय व सम्भावित प्रतिकर की धन राशि जमा किये जाने पर गूल के निर्माण हेतू

जांच उपरान्त भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही करने हेतू भू–स्वामियों को नोटिस दिये जायेगें जिसकी प्रति जिलाधिकारी को दी जायेगी।

यदि एक कृषक या अनेक कृषकगण पूर्व से निर्मित गूल के स्वामित्व को बदलवाना चाहते है तो वह अधिशासी अभियन्ता को निम्न बातों का उल्लेख करते हुये प्रार्थना पत्र देगें।

1. वह पारस्परिक ढ़ंग से गूल को बदलवाने में असमर्थ रहे हैं।
2. वह अधिशासी अभियन्ता से अनुरोध करते हैं कि वह स्वयं उनकी ओर से गूल को बदलवाने की कार्यवाही करें।
3. वह गूल पर होने वाले समस्त खर्च को जमा करने के लिये तैयार है।

यदि अधिशासी अभियन्ता कृषकों के अभिकथन से संतुष्ट हैं तो अधिशासी अभियन्ता कृषको से अवश्यमभावी है। नोटिस की प्रति जिलाधिकारी को दी जायेगी।

धारा 22, 23 के अन्तर्गत जैसा भी मामला हो कोई भी व्यक्ति गूल के निर्माण या अन्तरण (Transfer) के सम्बन्ध में नोटिस प्रकाशन के दिनांक से अन्दर 30 दिन जिलाधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी आपत्तियों की जांच अधिशासी अभियन्ता को पूर्व सूचना देकर करेगें तथा आपत्तिकर्ताओं के अभिकथन अभिलिखित करेगें।

यदि गूल के निर्माण या अन्तरण में कोई आपत्ति की जाती है या नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में जिलाधिकारी यदि कोई विरूद्व व्यवस्था(over rule) देते हैं तो वह अधिशासी अभियन्ता को नोटिस देते हुये चिन्हित भूमि या अन्तरित गूल पर आवेदन को कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेगें।

यदि जिलाधिकारी आपत्ति उचित मानते हैं तो वह अधिशासी अभियन्ता को तद्नुरूप सूचित करेगें। यदि अधिशासी अभियन्ता उचित समझते हैं तो धारा 21 के अधीन चिन्हित भूमि की सीमायें परिवर्तित कर सकेगें और धारा 22 के अधीन नवीन नोटिस दे सकेगें इस विषय में पूर्व में वर्णित प्रक्रिया प्रयोग में लाई जायेगी जिसके अनुरूप जिलाधिकारी कार्यवाही करेगें।

यदि अधिशासी अभियन्ता जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत नहीं हैं तो प्रकरण आयुक्त को सन्दर्भ किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। जिलाधिकारी को आयुक्त के निर्णय से सूचित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। जिलाधिकारी को आयुक्त के निर्णय से सूचित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह धारा 28 के प्रावधानों के अधीन आवेदक को नवीन गूल के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि या अन्तरित गूल की भूमि पर जैसा भी मामला हो कब्जा दिलायेगें।

आवेदक द्वारा नई गूल के निर्माण हेतु भूमि या अन्तरण हेतु गूल पर व्यय की गई धन राशि या प्रतिकर धन राशि या अन्य खर्चों का भुगतान जो भूमि को चिन्हित करने या कब्जा दिलाने में हुये है कब्जा प्राप्त करने से पूर्व करना होगा। प्रतिकर की कार्यवाही भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

यदि गूल पर हुये खर्चों व प्रतिकर का भुगतान का मॉग के उपरान्त भी आवेदक द्वाना नहीं किया जाता है तब समस्त धन राशि जिलाधिकारी द्वारा बकाया राजस्व के रूप में वसूल कर ली जायेगी।

जब कोई आवेदक नई गूल के निर्माण हेतू भूमि व अन्तरित गूल पर कब्जा प्राप्त करता है तो उस पर तथा उसके हितबद्व प्रतिनिधियों पर निम्न नियम शर्ते बाध्यकारी होगीं।

1. ऐसी गूलों के लिये या निकलने वाली नालियों के लिये या इसके चारों तरफ सींच व्यवस्था हेतु समस्त नालियों पर निर्माण कार्य आवदेक द्वारा या उसके हितबद्व व्यक्तियों द्वारा अधिशासी अभियन्ता की सन्तुष्टि के अनुरूप निर्मित एवम् अनुरक्षित किये जायेगें।

2. धारा 22 के अधीन गूल के निर्माण के लिये कब्जा की गई भूमि केवल गूल के ही प्रयोग में लाई जायेगीं।

3. प्रस्तावित गूल की पूर्ति आवेदक को भूमि पर कब्जा दिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर अधिशासी अभियन्ता के समाधान स्तर तक पुरी कर ली जायेगी। भूमि का कब्जा या गूल का अन्तरण किराया प्रभार (Rent charge)की शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4. आवेदक या उससे हितबद्व प्रतिनिधि जब तक गूल पर कब्जा रखते है तब तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवम् अवधि तक किराये का भुगतान करते रहेगें।

5. यदि नियमों में किसी के भंग होने के कारण भूमि के कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाता है तो कथित किराया भुगतान का दायित्व तब तक जारी रहेगा जबतक आवेदक या उसके हितबद्व प्रतिनिधि ने भूमि को इसकी मूल स्थित में स्थापित न कर दिया हो या उसने कथित भूमि में हुई किसी क्षति के लिये प्रतिकर के रूप में जिलाधिकारी द्वारा निश्चित धन राशि उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को भुगतान ना कर दिया हो।

6. जिलाधिकारी कथित किराये या प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति आवेदन प्राप्त होने पर प्रतिकर की धन राशि का संदाय निश्चित करेंगे। यदि प्रतिकर भुगतान आवेदक या हितबद्व प्रतिनिधि को नहीं किया जाता है। तो जिलाधिकारी को प्रतिकर धन राशि को संदेयता की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज सहित बकाया राजस्व के रूप में वसूल करके तत्पश्चात् आवेदक को या उसके हितबद्व प्रतिनिधि को भुगतान करेगे।

यदि इस धारा में निधित किन्ही नियमों या शर्तों का उल्लघन किया जाता है या इस धारा के अधीन तीन वर्ष तक गूल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आवेदक या उसके हितबद्व प्रतिनिधि का गूल पर कब्जे का अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो जायेगा।

किसी गूल के निर्माण के लिये भूमि, विस्तारीकरण (Extension) या परिवर्तन (Atteration) के लिये कब्जा प्राप्त करने या गूल की सफाई से निकली हुई मिटटी को जमा करने के लिये ही प्रयोग में लाई जायेगी।

<u>ग्रम सभा के सहयोग, परामर्श, प्रस्ताव से गूल का निर्माण, अनुरक्षण</u>

कृषको की सिंचाई सुविधा का सरलीकरण करने एवं उसे प्रभावी बनाने तथा उसमें सुधार लाने हेतु नहरी समादेश क्षेत्र में ग्राम सभा के सहयोग, परामर्श से गूल बनाने के लिये नहर एवम् जल निकास अधिनियम संख्या 8सन् 1873 में संशोधन कर धारा 30 के पश्चात् धारा 30 A-30 G संलग्न की गई हैं जिन्हे गूल अधिनियम संख्या 5 सन् 1963 के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं। यह प्रावधान 28 फरवरी 1963 से लागू हैं इस अधिनियम के अन्र्तगत प्रावधान निम्नवत वर्णित हैं।

1. **<u>30.A.सींच योग्य समादेश क्षेत्र में योजना की तैयारी:–</u>**

1. **30.A.सींच योग्य समादेश क्षेत्र में योजना की तैयारीः–**

अधिशासी अभियन्ता सींच योग्य समादेश क्षेत्र में सींच सुविधायें उपलब्ध कराने, उनमें सुधार लाने के दृष्टिकोण से गूल एवम् उससे सम्बन्धित कार्यों के निर्माण हेतू एक योजना तैयार करायेगें। जिसमें निम्न बिन्दूओं का उल्लेख होगा।

1. शजर प्लान जिसमे विद्यमान (exiting)कुलाबे की स्थिति, एवम् उसकी गूल की स्थिति, प्रस्तावित गूल की स्थिति तथा उससे सम्बन्धित की स्थिति व क्षेत्र जो विद्यमान गूल से सींच हो रहा हैं तथा जो प्रस्वावित गूल से सींच होगा, दर्शाते हुये तैयार कराया जायेगा।
2. प्रस्तावित गूल एवम् उससे सम्बन्धित कार्यों के निर्माण हेतु अनुमानित धनराशि का प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा।
3. योजना के कार्यान्वयन की रीति का ज्ञापन तैयार कराया जायेगा।
4. अन्य निर्धारित विवरण जो आवश्यक होंगे। प्रकरण के साथ संलग्न कराये जायेगें।

30.B. योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभा की बैठक आहूत करना

1. अधिशासी अभियन्ता योजना के कार्यान्वयन हेतु जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर अपने द्वारा तैयार करायी गई योजना की एक प्रति ग्राम सभा व एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को जिनके कार्य क्षेत्र में भूमि स्थित हैं उपलब्ध करायेंगें तथा अन्दर 30 दिन योजना पर ग्राम सभा एवम् खण्ड विकास अधिकारी से अनुमोदन, आपत्ति, सुझाव, संशोधन प्राप्त करेगें।
2. ग्राम सभा द्वारा योजना की प्रति प्राप्त होने के अन्दर तीन दिन नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगीं तत्पश्चात् 12 दिन के बाद प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना अन्दर 30 दिन अधिशासी अभियन्ता को दी जायेगी।
3. ग्राम सभा द्वारा यदि निर्धारित अवधि 30 दिन में योजना का अनुमोदन आपत्ति, सुझाव, संशोधन प्रस्तुत नही किये जाते हैं तब ग्राम सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करने लिये बाध्य होगी जो अन्तिम होगा।
4. यदि ग्राम सभा द्वारा आपत्ति, सुझाव, या संशोधन प्राप्त होते हैं तो विचारोपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा उसी प्रकार योजना को अन्तिम रूप दे दिये जायेगा।
5. योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद अधिशासी अभियन्ता लिखित में ग्राम सभा का नोटिस देकर बैठक बुलायेगें जिसमें योजना के कार्यान्वयन पर विचार करते हुये एक निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने का निश्चय किया जायेगा। इस अवधि को कार्य पूरा न हो पाने की दशा में समय–समय पर विस्तारित (Extended) भी किया जा सकेगा।

30.C.योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण या उपहार के रूप में प्राप्त करना

1. योजना के अनुमोदन की पुष्टि का नोटिस अधिशासी अभियन्ता की ओर से प्राप्त होने पर ग्राम सभा की ओर से उन समस्त व्यक्तियों को नोटिस दिया जायेगा जिनकी भूमि पर गूल का निर्माण या उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि भूमि उपहार के रूप में या समर्पण (Surrender) के रूप में दी जा सकेगी जो भार रहित होगी(free from all on cunfrances)

यह कार्यवाही एक निर्धारित अवधि में ही सम्पन्न की जायेगी ।

3. अधिशासी अभियन्ता उपहार (2) में आवंटित अवधि की समाप्ति पर पुनः गूल या उससे सम्बन्धित समस्त निर्मित कार्यो का निरीक्षण कर उन्हें अनुमोदित (Approved) या निरानुमोदित (Disapproved) करेंगें।

<u>30. E. राज्य सरकार द्वारा योजना का कार्यावयन</u>

1. जब ग्राम सभा योजना के कार्यान्वयन करने हेतु धारा 30 C. में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप भूमि प्राप्त करने में असफल रहे।

2. जब ग्राम सभा धारा 30.B. की उपधारा (5) के अर्न्तगत निर्धारितव विस्तारित अवधि में गूल तथा उससे सम्बन्धित कार्यो का निर्माण कराने में असफल रहे।

3. जब ग्प्रम सभा धारा 30.D. की उपधारा (2) के अर्न्तगत गूल तथा उससे सम्बधिन्त कार्यो की त्रुटियां दूर करने में असफल रहे। या 30.D. की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता से स्वीकृति प्राप्त करने में असफल रहे।

ग्राम सभा की उपरोक्त असफलताओं के पश्चात राज्य सरकार योजना का कार्यन्वयन करने हेतु समस्त कार्यवाहियां यथा भूमि का अधिग्रहण, योजना के अनुरूप गूल तथा उससे सम्बन्धित कार्यो का निर्माण कराने में सक्षम हैं।

<u>30.F. गूल को ग्राम सभा में निहित (Vest in) किया जाना</u>

राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में गूल एवं उससे सम्बन्धित किये गये समस्त कार्य एक अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराने के दिनांक से निर्धारित शरायतों के अनुसार ग्प्रम सभा में विहीत हो जायेगें।

<u>30.G. गूल एवं उससे सम्बन्धित कार्यो का अनुरक्षण</u>

ग्राम सभा समस्त गूलों व उससे सम्बन्धित निर्मित कराये गये कार्यो के अनुरक्षण व मरम्मम के प्रति जिम्मेदार होगी जो धारा 30.F. के अधिन उसमें निहित हो गई हैं।

<u>30.EE. विभागीय वृहत सिंचाई परियोजनाओं के सापेक्ष में विशेष प्रावधान</u>

विभागीय वृहत सिंचाई परियोजनाओं मे गूल निर्माण प्रक्रिया को सरल व सफल बनाने हेतु वर्ष 1974 में नहर एवं जल निकास अधिनियम सं0 सन् 1873 में द्वारा अधिनियम सं0 16 सन् 1974 से संशोधन कर [illegible] अधिशासी अभियन्ताओं को त्वरित कार्यवाही करने हेतु अधिकार दिये गये हैं।

1. अधिशासी अभियन्ता किसी समादेश क्षेत्र यथा रामगंगा, शारदा सहायक–गंडक या किसी अन्य वृहत परियोजना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराई गई अधिसूचना के निर्मित धारा 30 A के अनुरूप योजना तैयार करायेगें। योजना के कार्यान्वयन हेतु गूल के निर्माण एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्यो के निर्माण हेतु कार्यवाही करेंगें। इस योजना के कार्यान्वयन में धारा 30.B. 30.C. 30.D. 30.E...के प्रावधान प्रवृत नही होगें।

2. उपरोक्त उपधारा (1) में उल्लखित सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित किये बिना अधिशासी अभियन्ता निम्न कार्यवाही करेगें।

ए. योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास (भूमि अधिकरण) अधिनियम सं0 27 सन् 1948 के अधीन भूमि का अधिकरण करने हेतु प्रकरण अधिकरण प्राधिकारी(Requisitioning Authority) को भेजेंगें।

बी. योजना के कार्यान्वयन हेतु अभीष्ट भूमि का अधिग्रहण प्रकरण भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत राज्य सरकार को भेजेंगें।

सी. उपरोक्त दोनो क्लाज के अन्तर्गत प्रथमतः भूमि अधिकरण (Requisition) तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करेंगें।

3. अधिशासी अभियन्ता उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों(Functions) का प्रतिनिधायन (Delegation) सहायक अभियन्ता को कर सकेंगें।

4. धारा 30.F.30.G. और .A.30 के प्रावधान किसी योजना के सापेक्ष में गूल व उससे सम्बन्धित समस्त कार्यो के निर्माण में उसी प्रकार प्रवृत होंगें जिस प्रकार धारा 30.A,30.B,30.C,30.D,30.F,के प्रावधान प्रवृत होते है।

जल सम्भारण/जलापूर्ति (Water Supply)

धारा 31,32

अधिशासी अभियन्ता लिखित संविदा के अभाव में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य मदों में जैसे सैनिक भवनों व छावनियों, रेलवे स्टेशनों, शहरों, कस्बों सार्वजनिक बागों व पथाई ईटों के लिये द्वारा राज्यसरकार द्वारा बनाये गये नियमों व शर्तो के अध्यधीन निर्धारित दरों पर एक वर्ष तक के लिये पानी के ठेके देने के लिये सक्षम हैं। इससे अधिक समय के लिये राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हैं।

इस सापेक्ष में उल्लेखनीय तत्व यह हैं कि विभाग में कार्यरत समस्त अधिशासी अभियन्ता शासनादेश संख्या 1192/98–27–सिं0–4–3.../96दि0 26 मई 1998 के अनुसार प्रति क्यूसिक प्रति वर्ष एक लाख पचास हजार रूपय (1,50,000) की दर पर पानी का ठेका स्वीकार करने के लिये सक्ष्म हैं।

अधिशासी अभियन्ता किसी गूल को बंद करने या किसी व्यक्ति को पानी की आपूर्ति बंद करने के लिये निम्न दशाओं में ही सक्षम हैं :

1. जब कभी और जिस अवधि तक किसी कार्य के निष्पादन हेतु जलापूर्ति बंद करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किये गये हों।

2. जब कभी और किसी अवधि तक कोई गूल पारम्परिक मरम्मत (cuslomary repair) की स्थिति में अनुरक्षित नहीं हैं। गूल से जल की बरबादी होती हैं। ऐसी दशा में जल की बरबादी रोकने हेतु गूल को बंद करना आवश्यक हैं।

2. अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई अवधि में जलापूर्ति बंद की जा सकती हैं।

राज्य सरकार के विरूद्ध किसी नहर में जलापूर्ति बंद हो जाने या रोक दिये जाने के कारण जो राज्यसरकार के नियंत्रण के बाहर हो या मरम्मत, परिवर्तन या परिवर्धना

राज्य सरकार के विरूद्ध किसी नहर में जलापूर्ति बंद हो जाने या रोक दिये जाने के कारण जो राज्यसरकार के नियंत्रण के बाहर हो या मरम्मत, परिवर्तन या परिवर्धना (Addition) के कारण या उसमें समुचित जल प्रवाह को विनियमित करने के लिये किये गये उपायों या किसी स्थापित गूल के अनुरक्षण हेतु जिसे नहर अधिकारी आवश्यक समझते हैं यदि कोई हानि होती हैं तो प्रतिकर का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार से हुई हानि से पीडित व्यक्ति या व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर साधारण प्रभार से सींच कर में छूट देय होगी।

किसी नहर से सिंचित भूमि की जलापूर्ति बाधित हो जाने के कारण हुई हानि के सम्बन्ध में भू–स्वामी या अध्यासी (occupier) द्वारा प्रतिकर के दावे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें जिनकी जांच की जायेगी तत्पश्चात उचित प्रतिकर की घोषणा की जायेगी।

किसी नहर द्वारा सिंचित भूमि द्वारा ऊगाई जाने वाली एक जिस अथवा दो जिसों के लिये जो एक वर्ष में ऊगाई जा सकती हैं जलापूर्ति उसकी परिपक्वता तक एक फसल या अधिक से अधिक एक वर्ष के लिये ही होगी।

अधिक्षण अभियन्ता नहर विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नहरी जल, नहरी भूमि, किसी भवन, किसी गूल के प्रयोग करने के अधिकार को विक्रय नही कर सकेगा और न ही ठेके या किराये पर दे सकेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह हैं यह नियम किसी कृषि वाली भूमि के लिये जिसकी सिंचाई उसी नहर से होती हो पर प्रवृति नहीं होगा।

समस्त संविदाए(contracts) जो राज्य सरकार व अचल सम्पत्ति के भू–स्वामी व अध्यासी (occupier) के मध्य जल के प्रयोग हेतु सम्पन होगें वह भूमि हस्तान्तरण के साथ ही हस्तान्त्रित होगें।

किसी भी व्यक्ति को नहर के जल के प्रयोग करने के अधिकार प्रकृति प्रदत न होंगें न ही यह अधिकार भारतीय परिसीमन अधिनियम संख्या 36 सन् 1963 के अन्तर्गत ही अर्जित होंगें। राज्य सरकार भी लिखित संविदा के बिना पानी देने के लिये बाध्य न होगी लेकिन यदि कृषक का चक परिभाषित कमाण्ड में हैं तो वह व्यक्ति नहर के जल का प्रयोग करने का अधिकारी हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुन्दर लाल बनाम उत्तरप्रदेश सरकार ए.आई.आर 1980 इलाहाबाद 203 पृष्ठ 203 में निर्णय दिया जा चुका हं।

<u>जल का अनुचित प्रयोग एवम् अपव्यय तथा उस पर अधिरोपित दरें</u>

<u>धारा–33,34,35,</u>

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर गूल द्वारा पानी का प्रयोग अनुचित ढ़ग से करके अपनें खेतों की सींच करता है जिस व्यक्ति की असावधानी से ऐसी सींच होती हैं उसकी पहचान भी नहीं हो पाती हैं। ऐसी समस्त भूमि जिस पर पानी भर गया हैं और जो लाभान्वित हुई हैं ऐसी समस्त सींच पर कर अधिरोपित किया जायेगा।

ऐसे समस्त व्यक्तियों पर जिन्होने अनुचित ढंग से पानी का प्रयोग गूल द्वारा कर अथवा पटरी काटकर,बन्धा लगाकर, पम्पिंग सैंट लगाकर, शोरी करके, कुलाबा उखाड कर,

पाईप लगाकर, प्रतिवारित खेतों (debared fields) की सींच बल पूर्वक माइनर को रेग्यूलेशन के विरूद्ध चलाकर सींच की है उन समस्त खेतों पर दण्ड स्वरूप मूल सींच करके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 2 जनवरी 1976 के अनुसार चार गुना आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। यह आर्थिक दण्ड ही तावान हैं।

यदि नहर का पानी गूल द्वारा व्यर्थ ही नष्ट होता रहे और जांच करने पर कृषकों की लापरवाही सिद्ध हो जाये तथा जिस व्यक्ति की लापरवाही से पानी नष्ट हुआ हैं उसका पता न चल सके तो उनसमस्त व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से जिनके खेतों में गूल से नष्ट हुआ पानी पहुंचा हैं एक अतिरिक्त प्रभार (Extra charge) नियम के अधिरोपित किया जायेगा।

यदि नहर का पानी कृषक भूमि नष्ट होता हैं तो उस पर अतिरिक्त प्रभार की दर उस भूमि में बोई हुई जिन्स के लिये नियत कर की दर से दो गुनी होगी।

यदि नहर का पानी अकृषिक भूमि (uncullivated Land) में नष्ट होता है तो उस पर अतिरिक्त प्रभार की दर उच्च श्रेणी के अविधारक कर के अनुसार अधिरोपित की जायेगी। यदि कृषिक भूमि में पानी की गहराई 6 इंच से अधिक होगी तो अतिरिकत प्रभार की दर अविधारक कर की दर दो गुणी होगी। यदि पानी की गहराई 1 फुट से अधिक होगी तो अतिरिक्त प्रभार की दर अविधारक कर की तीन गुनी होगी।

यदि अधिशासी अभियन्ता उचित समझे तो उपरोक्त दशाओं में अतिरिक्त प्रभार कम दर पर भी अधिरोपित कर सकते हैं।

धारा 34 की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रकृति(Quari judicial nature) की हैं। इस कार्यवाही के अन्तर्गत सींच प्रभार तथा दण्ड अधिरोपित करने के आदेश पारित करने होते हैं यदि निर्धारित (Assessee) को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किये गये हैं तो ऐसे विरोधी आदेश (Impugnedorder) विधि के विपरीत है या अन्याय पूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शीतलादीन बनाम अधिशासी अभियन्ता 1971 इलाहाबाद 343 पृष्ट 345 पर अपील में निर्णय किया जा चुका हैं।

अनुचित ढंग से पानी के प्रयोग करने या पानी के नष्ट होने के कारण नियमों के अधीन आच्छादित क्षेत्र पर अधिरोपित अर्थ दण्ड की वसूली जमाबंदी में प्रविष्टि उपरान्त भू–राजस्व की भांति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

विभाग में ताबान अधिरोपित करने के लिये अधिशासी अभियन्ता सक्षम अधिकारी हैं। ताबान की अपील अधीक्षण अभियन्ता के यहां की जायेगी। इसका उल्लेख सिंचाई नियमावली 1936 के नियम 85 में हैं इस तथ्य की पुष्टि मानयनीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी दिनांक 15.04.1955 में की जा चुकी हैं।

अविधारक कर (occupiers rate)

धारा–36

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कृषकों पर जो कर नहर से सींच करने के कारण अधिरोपित किया जाता हैं। वह अविधारक कर कहलाता हैं । राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार भू–धृतिधारक एवम् भूमि को खेती के लिये किराये पर लेने वाले व्यक्तियों के विषय में अन्यान्य दायित्व(several Liabilities) निश्चित किये जा सकेगें।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 सन् 1973 के अनुसार अन्य/प्रासंगिक प्रभार भी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार ही अधिरोपित किये जायेगें।

विभाग द्वारा निर्मित गूल पर व्यय की गई धनराशि वसूल करने की प्रकिया (धारा –36 ए)

उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम संख्या 8 सन् 1873 में अधिनियम संख्या 22 सन् 1973 द्वारा संशोधन कर नई धारा 36 ए निम्न रूप में सम्मिलित की गई हैं। जिसके द्वारा कृषकों से विभाग द्वार निर्मित गूल पर व्यय की गई धनराशि वसूल करने का प्रावधान हैं।

1. जल सरणी/गूल(Water course) के लिए अधिग्रहण या अधिकरण की गई भूमि की कीमत तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु गूल के निर्माण व उससे सम्बन्धित निर्माण कार्यो हेतु विकास प्रभार लिया जायेग व संग्रहित किया जायेगा जिसका आगणना(calculation)निम्नवत किया जायेगा।

क. अधिग्रहण एवम् अधिकरण (Acquirition and requirition) की गई भूमि की कीमत 0.40 पैसे प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वसूल की जायेगी।

ख. जल सरणी/(Water course) के निर्माण और उससे सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्यो के लिये कीमत 0.60 पैसे प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वसूल की जायेगी।

2. सींच योग्य समादेश क्षेत्र में प्रत्येक भूधृत व्यक्ति अलावा उन व्यक्तियों के जिन्होने उपहार स्वरूप अपनी भूमि ग्राम सभा को समर्पित या अन्तरित (Surrendered or trensfered)

कर दी हो जैसा मामला हो उनकी भूमि के किसी हिस्से पर जल सरणी का निर्माण किया गया है तो उस समय तक 4.5 प्रतिशत ब्याज सहित गूल की कीमत अदा करने का हकदार होगा जबतक सरकार या विभाग द्वारा व्यय की गई राशि वसूल न हो जाये। यदि भू–अर्जन की कीमत उस पर हुये खर्च सहित राज्य की समेकित निधि (consolidated fund) से पूर्ण की गई हैं तो उस धनराशि पर भी 4.50 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जायेगा।

यदि अधिग्रहण की कीमत पूरी हो गई तो गूल पर विकास प्रभार उस पर 2.5 प्रतिशत ब्याज की दर से तब वसूल किया जायेगा जब तक कीमत वसूल नही हो जाती हैं।

(धारा 37) स्वामी कर(owner rate)

बन्दोवस्त के समय जो भूमि खाकी थी उसकी माल गुजारी भी उसी अनुरूप निश्चित की गई थी बाद को उसी भूमि की नहरी सींच होने पर भूमि के स्वामी पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता था। इस कर का प्रारम्भ राजाज्ञा संख्या 2088–ए दिनांक 31.8.1874 से हुआ था। इस कर का उन्मूलन जमीदारी उन्मूलन एवम् भूमिसुधार अधिनियम 1950 के दिनांक 1. 04.51 से प्रवर्तन में आ जाने के कारण हो गया हैं इसी कारण इससे सम्बन्धित धारायें 37 से 43 तक निष्प्रयोज्य हो गई हैं।

(धारा 44) कई स्वामियों द्वारा धारित भूमि पर सींचकर की अदायगी

जब किसी भूमि पर कई व्यक्ति सामूहिक रूप में खेती करते हैं उन पर लगाया गया सींचकर उन सभी व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा जो भूमि का लाभ उठाते हो यदि

वह सामूहिक रूप से अदा करने में असमर्थ हो तो उस व्यक्ति से वसूल किया जायेगा जो प्रबन्धन के रूप में भूमि से लाभ उठाता हैं।

(धारा45) प्रमाणित प्रभार की वसूली(Recovery of certifiedduse)

अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित समस्त देय (सींचकर) जिलाधिकारी द्वारा भू–राजस्व के रूप में वसूल किया जायेगा जिसकी जमाबन्दियां तहसीलदारों को प्रेषित की जायेगी । अन्य जो सींचकर से सम्बन्धित बकाया धन राशि अवशेष भू–राजस्व के रूप में जिलाधिकारी द्वारा ही वसूल की जायेगी।

(धारा 46) नहरी देय की वसूली हेतू संविदा करने की शक्ति.................

नहरी देयों की वसूली हेतू अधिशासी अभियन्ता एवम् जिलाधिकारी के मध्य सम्पन होगी जिसके अनुपालन में नहरी देय एवं अवशेष लगान, गूल निर्माण हेतु भूमि की कीमत, विकास प्रभार तथा भवन निर्माण में पानी की आपूर्ति के कारण अधिरोपित प्रभार के रूप में वसूल किये जायेगें।

(धारा 47) लम्बदार द्वारा नहरी देयों की वसूली हेतु स्वीकृति

अंग्रेजी शासन काल में जमीदारी प्रथा प्रचलित थी इसलिये मालगुजारी व नहरी देयों की वसूली मुहालवार लम्बरदार द्वारा ही वसूल की जाती थी जिसकी जमाबंन्दी भी मुहालवार ही तैयार कराई जाती थी लेकिन जमीदारी उन्मूलन एवम् भूमि सुधार अधिनियम 1950 के दिनांक 1.04.51 से प्रवर्तन में आ जाने के कारण जमीदारी प्रथा समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मालगुजारी व नहरी देयों की वसूली अब जिलाधिकारी द्वारा भी कराई जाती है। राज्य संशोधन अधिनियम संख्या 6 सन् 1932 के अनुसार लम्बरदार नियुक्ति करने की स्वीकृति जिलाधिकारी में निहित है उत्तराखण्ड में भी जौनसार भाबर, जमींदारी उन्मूलन एवम् भूमि सुधार अधिनियम 1956 व कुमाऊँ एवम् उत्तराखण्ड जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1960 के लागु हो जाने से यह प्रथा समाप्त हो गई हैं।

(धारा 48) अर्थ दण्ड का अपवर्जन(Exclusion of fine)

इस अधिनियम की धारा 45,46,47 अर्थ दण्ड से अपवर्जित (Excluded) हैं अन्य प्रकार से अधिरोपित अर्थ दण्ड इन धाराओं में सम्मलित नहीं हैं।

(धारा 49 से 54) नहरी नौ परिवहन (canal navigation)

नहरो में नौ परिवहन समाप्त हो जाने के फलस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 49 से लेकर 54 तक The Northern India Ferries Act no.17 of 1878 से विनियमित होती हैं इसलिये इनसे सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों एवम् अपराध उसी से विनियमित होते हैं जिसके कारण ये धारयें इस अधिनियम में निष्प्रयोज्य (Redundent)हो गई हैं।

(धारा 55 से 62) जल निकास (Drainage)

जब राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि किसी नदी, नाले, स्रोत से किसी भूमि, जनस्वाथ्य, जन सुविधाओं को हानि की आंशका हैं जब राज्य सरकार उसके सुधार और निवारण के लिये अवरोध हटाने की अधिसूचना निर्गत करती हैं। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता या उनकी ओर से प्राधिकृत

अधिकारी किसी नदी, नाले, स्रोत में अवरोध करने वाले व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करने के साथ अवरोध हटाने की कार्यवाही करेगा।

राज्य सरकार की ओर से अधिशासी अभियन्ता या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्व अवरोध हटाने सम्बन्धी आदेश पारित हो जाने के बाद भी यदि वह व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता हैं अर्थात अवरोध नही हटाता हैं तो अधिशासी अभियन्ता या अन्य प्राधिकृत अधिकारी स्वंय सरकार के खर्च हटवा देगें और उस पर हुये व्यय को उस व्यक्ति से वसूल करेगें। यदि अवरोध उत्पन करने वाला व्यक्ति अवरोध हटवाने में हुये व्यय को अदा नही करता हैं तब ऐसा व्यय जिलाधिकारी द्वारा या उसके हितबद्व प्रतिनिधि (Representalive in interest) से बकाया भू–राजस्व के भॉति वसूल किया जायेगा।

जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि भूमि की सुरक्षा व खेती के सुधार/सिंचाई व्यवस्था हेतू नदियों के कटाव से बाढ़ से सुरक्षा करने के लिये पानी को एकत्र करना आवश्यकता हैं तब राज्य सरकार द्वारा एक योजना तैयार कराई जायेगी जिसमे योजना पर होने वाले अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा और योजना के कार्यन्वयन हेतु शासन से धन आवंटन व भूमि का प्रस्ताव स्वीकार कराया जायेगा।

इन योजनाओं पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी इस अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग कर सकेगें।

जल निकास से सम्बन्धित निर्माण कार्यो से लाभान्वित भू–स्वामियों को भूमि की कीमत तथा योजना के अनुरक्षण व पर्यवेक्षण की लागत 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल की जायेगी इसमें रख–रखाव नियंतण व्यय भी सम्मलित किया जायेगा होगा।

खेती योग्य भूमि की दशा में सुधार होने के फलस्वरूप पैदावार में वृद्वि होने के कारण उसकी मालगुजारी में वृद्वि की जायेगी।

यदि किसी नहर, गूल,सड़क, अन्य कार्यो में कोई सुधार किया जाना हैं अथवा अवरोध हटाया जाना आवश्यक हैं तो उसका खर्च राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति से वसूल किया जायेगा जिसके द्वारा अवरोध किया गया था।

जल निकास कार्यो पर हुआ व्यय, भू–राजस्व की भॉति जिलाधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा धारा 55 के अन्तर्गत किसी अवरोध को हटाने या सुधार करने या धारा 57 के अन्तर्गत किसी नदी नाले, स्रोत पर कोई निमार्ण कार्य करने से हुई हानि पर प्रतिकर धारा 10 में वर्णित रीति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रतिकर के दावे दावाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी के यहॉ भारतीय परिसीमन अधिनियम संख्या 36 सन् 1963 के अनुसार एक वर्ष की अवधि में ही दायर किये जायेगें। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष की सीमा के बाद भी यदि दावाकर्ता विलम्ब के कारणों से जिलाधिकारी को सन्तुष्ट कर देगें तो तब भी दावे स्वीकार किये जा सकेगें।

(धारा 63 से 66 तक) नहरों एवम् जल निकास कार्यो हेतू श्रमिको की प्राप्ति (Oftaining of labour for canal drainage works)

इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 63 से 66 तक की धाराओं से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों श्रमिक अधिनियम 1980 से विनियमित होती हैं इसलिये अब ये धारायें इस अधिनियम में निष्प्रोज्य (Rendundent) हो गई हैं

(धारा 67 से 69) सिविल न्यायालय एवम् नहरी न्यायालय की अधिकारिता

(Jurisdiction of civil court and canal court)

इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के विरूद्व दायर समस्त वाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे तथा धारा 70 में वर्णित अपराधों का विचारण नहरी न्यायालय के अन्तर्गत ही विचारणीय है किसी फसल के बोने के समय और उगते समय पानी देने से सम्बन्धित आदेश पारित करने के अधिकार सिविल न्यायालय को नही है यह केवल विभाग में कार्यरत अधिकारियों का क्षेत्राधिकार हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कृषकों के पानी के प्रयोग वितरण गूल निर्माण एवम् रख–रखाव के सम्बन्ध में पारस्परिक विवाद (mutual differences) उत्पन होने की दशा में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा उनकी जॉच कराने के उपरान्त आदेश पारित किये जायेगें जिसकी सूचना जिलाधिकारी को दी जायेगी अधिशासी अभियन्ता को पानी का वितरण करने व पानी का क्रम फसल बोने के समय व उगनें के समय निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार तब तक प्रभावी हैं जब तक न्यायालय द्वारा निवारित (Set aside) न कर दिया जाये।

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जॉच और विचारण की कार्यवाही करने के उददेश्य से व्यक्तियों को समन निर्गत करने, गवाहों से पृच्छा करने एवम् ब्याज लेने का अधिकार न्यायाक प्रक्रिया के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में उपराजस्व अधिकारियों को हैं जो उपराजस्व अधिकारियों को शासनादेश संख्या 557 (बी)/6–325–42 दिनांक 15 मार्च 1943 से प्रदत्त किये गये थे। सिंचाई विभाग में समस्त उपराजस्व अधिकारी अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रण में कार्य करते है और मजिस्ट्रेट के रूप में जिला एवम् सत्र न्यायाधीश के नियन्त्रण में कार्य करते है।

सिंचाई विभाग में उपराजस्व अधिकारी नहर एवम् जल निकास अधिनियम 8 सन् 1873 की धारा 70 के अन्तर्गत वादो का विचारण करते हैं। उपराजस्व अधिकारियों को (Special judicial magistrate) द्वितीय श्रेणी के अधिकार दण्ड प्रकिया संहिता 1973 अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 13 व 32 के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधिसूचना संख्या 85 फरवरी 15 सन् 1980 से यू.पी. प्राईवेट फोरेस्ट एक्ट न0 9 सन् 1949 की धारा 15 के अन्तर्गत दोषी सिद्व व्यक्ति को 1000 रूपये अर्थदण्ड अथवा तीन माह के कारावास अथवा दोनो से दण्डित करने के अधिकार है।

(धारा 70) अपराध एवम् शास्ति (Offerces and perallies)

जो कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा के बिना तथा स्वेच्छा से विधि विरूद्व कार्य करता हैं वह धारा 70 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करता हैं। इस धारा के अन्तर्गत वर्णित अपराधों का विचारण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (S.J.M.) द्वितीय श्रेणी नहर विभाग के न्यायालय में होता हैं।

1) जो कोई किसी जल मार्ग को क्षति, या बाधा पहूँचाता हैं या वृद्वि करता, बदलता हैं।

2) जो कोई किसी नहर या जलमार्ग के प्रवाह में हस्तक्षेप करता है, मार्ग बदलता है या जलापूर्ति में कमी करता हैं।

3) जो कोई किसी नहर या जलमार्ग को अनुपयोगी बनाता हैं, उसे क्षतिग्रस्त करता हैं, जल प्रवाह बदलता हैं या उसमें हस्तक्षेप करता हैं।

4) जो कोई जल मार्ग के अनुरक्षण में असावधानी बरतता हैं, जल को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करके नष्ट करता हैं, या उसमें हस्तक्षेप करता हैं।

5) जो कोई नहरी जल को विकृत या अपमिश्रित (collapis and fouls) अर्थात गंदा करता हैं जिससे वह सामान्य उपयोग के प्रयोजनार्थ कम उपयोगी जाये।

6) जो कोई राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के प्रतिकूल किसी नहर में जलयान (vessel) का प्रवेश या नौ परिवहन (navigation) कारित करता हैं।

7) जो कोई किसी नहर में नौपरिवहन करते समय नहर और उस नर जलयान की सुरक्षा में असावधानी बरतता हैं।

नहर मे नौपरिवहन समाप्त हो जाने के कारण उपधारा 6 व 7 निष्प्रयोज्य (redundent) घोषित हो गई हैं। यह दोनों उपधारायें (Narigation and ferries Act 1878) से विनियमत होती हैं।

8) जो कोई इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन श्रमिकों की आपूर्ति करने को उतरदायी होते हुये बगैर युक्तियुक्त कारण के अपेक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने में या सहायता करने में असफल रहता हैं।

9) जो कोई इस अधिनियम के भाग 8 के अधीन श्रमिकों की आपूर्ति करने का उत्तरदायी होते हुये बगैर युक्ति युक्त कारण के अपने दायित्व की आपूर्ति करने या आपूर्तिजारी रखने की उपेक्षा करता हैं।

उपधारा 8, 9, श्रमिक अधिनियम 1980 से विनियमित होने के कारण निष्प्रोज्य घोषित हो गई हैं

10) जो कोई लोक सेवक द्वारा निश्चित पंसाल या माप चिन्ह को नष्ट करता हैं या स्थानान्त्रित करता हैं।

11) जो कोई नहर या जल निकास कार्यो के किनारे या किनारों के आर–पार जानवर (Animals) निकालता हैं या कोई वाहन (Vehicals) निकालता है या वानि पार करता हैं या कराता है, बिना आज्ञा पटरी पर गाडी चलाता हैं।

12) जो कोई इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लघन करता हैं, बिना आज्ञा नहर में मछली मारता हैं।

उपरोक्त सभी कारित किये गये उपराधो पर शास्ति अधिरोपित होगी।

इस धारा के अन्तर्गत दोषी सिद्व व्यक्ति को एक सौ रूपये अर्थदण्ड एक माह के कारावास अथवा दोनो से दण्डित करने का अधिकार हैं।

(धारा 71) अन्य विधियों के अधीन अभियोजन से व्यावृति(Savings)

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी विधि द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों से नहीं बचाया सकता हैं। किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि एक ही अपराध किसी प्रतिबन्ध यह हैं कि एक ही अपराध में किसी व्यक्ति बार दण्डित नहीं किया जा सकता हैं। किन्तु प्रतिबन्ध यह हैं कि एक ही अपराध में किसी व्यक्ति को दो बार दण्डित नही किया जा सकता हैं। इस विषय में ए.आई.आर. 1952 हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्णय लिया जा चुका हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 20 (2) में दोहरे दण्ड से संरक्षण का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित है कि एक ही अपराध में एक व्यक्ति को दो बार अभियोजित और दण्डित नही किया जा सकता हैं।

इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में प्राग्डन्यााय के सिन्द्वात (Principles of Resjudicata) के अन्तर्गत दोहरे बाद से सुरक्षा शीर्षक के अन्तर्गत भी निम्न रूप में उल्लेख किया गया हैं।

" किसी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण के लिये दो बार वाद नही लाया जा सकता हैं"

इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300 में भी दोहरे वाद संरक्षण का उल्लेख किया गया हैं।

किसी व्यक्ति पर एक ही वाद कारण के लिये दो बार वाद नही लाया जा सकता हैं।

उपरोक्त तर्को के आधार पर यह सर्वमान्य एंव स्वंय सिद्व सिद्वान्त हैं कि एक ही वाद कारण में किसी भी व्यक्ति अथवा अभियुक्त पर उससे सम्बन्धित दूसरी बार वाद की कार्यवाही नही की जा सकती हैं।

(धारा 72)व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर (Compensation to person injured)

जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं तो मजिस्ट्रेट को अधिकार हैं कि वह पीड़ित व्यक्ति को अधिरोपित अर्थदण्ड के किसी भाग अथवा कुल अर्थदण्ड को प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता हैं।

(धारा 73) बिना वारन्ट गिरफ्तार करने की शक्ति(Power to narrest without warrant)

इस अधिनियम के अन्तर्गत नहर अधिकारियों एवम् कर्मचारियों किसी भी व्यक्ति को बिना वारन्ट गिरफ्तार करने के अधिकार प्राप्त हैं। जो व्यक्ति निम्न अपराध कारित करता हुआ पाया जायेगा उस व्यक्ति को नहर विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस स्टेश्न पर पेश कर सकेगें।

1) जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी नदी, नाले, नहर स्रोत को हानि पहूँचाता हों।
2) जो किसी नहर, नदी, नाले और स्रोत के बहाव में अवरोध उत्पन्न करता हों।

नहर की परिभाशा (Definition og canal)

धारा 74 के अनुसार नहर की परिभाषा के अन्तर्गत वह समस्त भूमि जो नहर के उददेश्य से अधिग्रहीत की गई है तथा समस्त भवन मशीनरी, तार–बाड, गेट, पेड फसलें प्लॉटेशन या ऐसी भूमि की उपज जो राज्य सरकार के अधीन हो, सम्मलित हैं।

सहायक नियम (Subsidiary Ruless)

धारा 75 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर नियम बनाने, परिवर्तन करने या निरस्त करने के अधिकार प्राप्त हैं।